Director
Pension and Pensioners Werlfare Department
Jaipur, Rajasthan
dir-pen-rj@nic.in , Telephone no. 0141-2740538, 2741687

क्रमांकः– प.22()निपेवि/स्टोर/कम्प्यूटर हार्डवेयर क्रय/2025–2026/ 4894-7 दिनांक 18/02/2

Notice Inviting Bid

Bids for Computer Hardware and printer purchase are invited from intrested bidders upto 01.00 pm on 24.02.2026 Other particulas of the bid may be visited on the procurement portal (https://sppp.rajasthan.gov.in) of the state . The approximate value of the procurement is Rs. 1.70 lacs.

UBN..

अतिरिक्त निदेशक
(मुख्यालय)
पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण
राज., जयपुर

क्रमांकः– प.22()निपेवि/स्टोर/कम्प्यूटर हार्डवेयर क्रय/2025–2026/ दिनांक
प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. आयुक्त, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि बोली आमंत्रण सूचना राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 43(6) में विहित प्रावधानानुसार एक क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र में न्यूनतम स्पेस एवं अनुमोदित दरों पर अविलम्ब प्रकाशन करावें।
2. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
3. उपापन समिति, संयोजक/सदस्य.................................. ।
4. नोटिस बोर्ड मुख्यालय।
5. अतिरिक्त निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, अजमेर/ जोधपुर /कोटा/उदयपुर/बीकानेर/भरतपुर को कार्यालय के सूचनापट्ट पर चस्पा करने हेतु।
6. संयुक्त निदेशक (आईटी) कार्यालय हाजा कम्प्यूटर अनुभाग को भेजकर लेख है कि संलग्न निविदा सूचना एवं निविदा प्रपत्र को विभागीय वैबसाईट एवं SPPP पोर्टल पर अपलोड करावें।
7. लेखा/कैश शाखा कार्यालय हाजा।

अतिरिक्त निदेशक
(मुख्यालय)

राजस्थान सरकार
निदेशालय पेंशन एवं पेशनर्स कल्याण,
विद्युत मार्ग, ज्योति नगर, जयपुर (राजस्थान) 302005
ईमेल – dir-pen-rj@nic.in दूरभाष न. 0141–2740538, 2741687

क्रमांकः– प.22()निपेवि / स्टोर / कम्प्यूटर हार्डवेयर क्रय / 2025–2026 / 4907 - 7 दिनांक 18/02/26

निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग में निम्न सामग्री क्रय के लिए OEM/ अधिकृत विक्रेता / डीलर से मुहरबंद (तकनीकी एवं वित्तीय) खुली प्रतियोगी बोली निम्नांकितानुसार आमंत्रित की जाती हैं:–

क.सं.	नाम सामग्री	मात्रा	अनुमानित राशि (लाख रू0)	निविदा शुल्क रू.	निविदा अमानत राशि रू.	निविदा प्रपत्र उपलब्ध होने की दिनांक व समय	निविदा प्रपत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम दिनांक व समय	निविदा प्रपत्र खोलने की दिनांक व समय
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Desktop Computer Laser Printer	2 नग 1 नग	1.50 लाख 0.20 लाख	500 / –	3400 / –	SPPP पोर्टल पर अपलोड की दिनांक से 24.02.2026 प्रातः 11.00 बजे तक	24.02.2026 दोपहर 1.00 बजे तक	24.02.2026 दोपहर बाद 3.00 बजे
कुल राशि रू.			1.70 लाख					

(1) बोली आमंत्रण सूचना मय बोली दस्तावेज राजस्थान राज्य लोक उपापन पोर्टल http://sppp.rajasthan.gov.in व विभागीय वेबसाईट http://pension.rajasthan.gov.in पर भी देखा जा सकता है।

(2) बोली प्रपत्र निदेशालय पेशन एवं पेशनर्स कल्याण, जयपुर के कक्ष संख्या 8, पेंशन भवन से कार्यालय समय दिनांक 24.02.2026 को दोपहर 12.00 बजे तक (अवकाश दिवस को छोड़कर) प्राप्त किए जा सकते है, बोली प्रपत्र online sppp portal से भी डाउनलोड कर प्रस्तुत किया जा सकता है तथा बोलीदाताओं द्वारा मुहरबन्द बोली प्रपत्र दिनांक 24.02.2026 को दोपहर बाद 1.00 बजे तक निदेशालय पेशन एवं पेशनर्स कल्याण, जयपुर के कक्ष संख्या 8, पेंशन भवन में जमा कराई जा सकती है।

(3) बोली प्रतिभूति राशि रू. 3400 / – एवं बोली प्रपत्र शुल्क राशि रूपये 500 / – का डिमान्ड ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक ''निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर'' के पक्ष में जमा कराना होगा। बोली प्रतिभूति राशि एवं बोली प्रपत्र शुल्क eGRAS चालान के माध्यम से भी जमा कराई जा सकती है। जिन बोलीदाताओं द्वारा तकनीकी–वाणिज्यिक बोली प्रपत्रों के साथ बोली प्रतिभूति राशि जमा नही कराई जायेगी उनकी बोली निरस्त कर दी जायेगी।

(4) तकनीकी बोली दिनांक 24.02.2026 को दोपहर 3.00 बजे कक्ष संख्या 209, पेंशन भवन में उपस्थित बोलीदाताओं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष उपापन समिति द्वारा खोली जायेगी।

(5) किसी बोली को स्वीकार / अस्वीकार करने या किसी बोली को निरस्त करने का उपापन समिति का अधिकार सुरक्षित हैं।

अतिरिक्त निदेशक
(मुख्यालय)
पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण
राज., जयपुर

राजस्थान–सरकार
निदेशालय पेशन एवं पेशनर्स कल्याण, जयपुर
"पेंशन भवन"–ज्योतिनगर, जयपुर राज0
(कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं प्रिंटर के कय हेतु)

तकनीकी बोली प्रपत्र

1. बोलीदाता/संवेदक का नाम ....
2. डाक का पता ....
....
3. फोन/मोबाईल नं0 ....
4. ई–मेल ....
5. बैंक का नाम ....
IFSC Code ....
खाता संख्या ....
6. **GST No.**..
7. **PAN No.**..

8. बोली प्रतिभूति राशि रू. 3400/– एवं बोली प्रपत्र शुल्क राशि रूपये 500/– का डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक "निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर" के पक्ष में जमा कराना होगा। बोली प्रतिभूति राशि एवं बोली प्रपत्र शुल्क eGRAS चालान के माध्यम से भी जमा कराई जा सकती है। जिसके चालाना की प्रति तकनीकी–वाणिज्यिक बोली प्रपत्र के साथ संलग्न की जानी आवश्यक होगी। जिन बोलीदाताओं द्वारा तकनीकी–वाणिज्यिक बोली प्रपत्रों के साथ बोली प्रतिभूति राशि जमा नही कराई जायेगी उनकी बोली निरस्त कर दी जायेगी।

9. बोलीदाता/फर्म का वस्तु एवं सेवाकर (GST) में पंजीकृत होना आवश्यक है। पंजीयन की स्वहस्ताक्षरित फोटो प्रति तकनीकी–वाणिज्यिक बोली (लिफाफा–अ) के साथ सलंग्न करना होगा।

10. बोलीदाता को आयकर विभाग का पैनकार्ड (PAN CARD) की स्वहस्ताक्षरित फोटो प्रतितकनीकी–वाणिज्यिक बोली (लिफाफा–अ) के साथ संलग्न करना होगा।

11. निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, पेंशन भवन, जयपुर द्वारा जारी की गई बोली आमंत्रण सूचना में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न बोली दस्तावेजों में दी गई उक्त बोली आमंत्रण सूचना के अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते है।

12. तकनीकी बोली में क्वालिफाईड/सफल बोलीदाता/संवेदक की ही वित्तीय बोली खोली जायेगी।

13. **डेस्कटॉप कम्प्यूटर एवं प्रिंटर के अधिकृत विकेता/विनिर्माता/डीलर होने का प्रमाण पत्र** (लिफाफा–अ) के साथ सलंग्न करना होगा।

14. कयादेश की दिनांक से 10 दिवस की अवधि मे आपूर्ति करनी होगी।

15. **निविदा निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग के कमरा न. 209 (अतिरिक्त निदेशक PGRC का कक्ष) में स्थित निविदा बाक्स में डालनी होगी।**

16. राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम–2012 व नियम–2013 के प्रावधान इस बोली पर प्रभावशील होगें तथा जहॉ आवश्यक हो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम लागू होंगे।

अतिरिक्त निदेशक
(मुख्यालय)
पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण
राज., जयपुर

बोली दाता के हस्ताक्षर
कृ0प0उ0

राजस्थान–सरकार
निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण, जयपुर
Computer Hardware का उपापन करने हेतु निविदा
तकनीकी बोली प्रपत्र

Desktop Computer

क. सं.	नाम सामग्री एवं विशिष्टियॉं		प्रस्तावित मात्रा	प्रस्तावित मेक
	Desktop Computer			
	Processor	Intel i5, 10 core or higher, with minimum 2.5 GHz or higher(Base Frequency), 20 MB Cache or higher with 14th Generation and to be certified by OEM	2	
	Chipset	Compatible Chipset		
	Operating System	1. Pre installed OEM Certified Genuine Microsoft Windows 11 Professional (64 Bit) or higher 2. Recovery Partition		
	Memory(RAM)	16 GB DDR5 4400 MHz or higher with 64 GB expandability		
	Storage	1 TB SSD		
	Graphics	Integrated HD Graphic card or higher		
	Ports	Minimum 5 USB Ports with at least 2 USB 3.0 or higher ports. HDMI, Display port, Audio jack for headphone & microphone		
	Display	Minimum 21 inch or higher, Resolution 1600x900 or higher Display		
	Antivirus	minimum 3 years subscription Antivirus with protection for Ransomware, Browsing, Phising along with OEM undertaking to be provided.		
	Certification	BIS(for Monitor Only)		
	Compliance	RoHS, ISO9001		
	Keyboard & Mouse	USB Keyboard & USB two button optical Mouse with Mouse Pad(Same Make as Desktop)		
	Network Interface	Integrated 10/100/1000 GB Ethernet . Integrated 802.11ac WiFi and Bluetooth 5.0 or higher		
	Form Factor	SFF/MT		
	Accessoires	All necessary cables		
	Security	2.0 Trusted Platform Module (TPM) (Hardware/Firmware)		
	Expansion Slots	Minimum two PCIe slots		
	Warranty	3 Years comprehensive on site OEM warranty		

(1) सामग्री की दरें केवल अधिकृत विक्रेता/विनिर्माता/डीलर द्वारा ही दी जाएगी एवं सामग्री के मूल निर्माण कर्ता का अधिकृति का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
(2) न्यूनतम दरदाता का निर्धारण निविदा में वर्णित आईटमों में से आईटमवार किया जायेगा।

अतिरिक्त निदेशक
(मुख्यालय)
पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण
राज., जयपुर

फर्म का नाम व पता
मोबाईल–दूरभाष

हस्ताक्षर बोलीदाता

कृ0प0उ0

राजस्थान-सरकार
निदेशालय पेशन एवं पेशनर्स कल्याण, जयपुर
Computer Hardware का उपापन करने हेतु निविदा

तकनीकी बोली प्रपत्र
Laser Printer

क. सं.	नाम सामग्री एवं विशिष्टियॉ		प्रस्तावित मात्रा	प्रस्तावित मेक
	Laser Printer		01 नग	
	Functions	Print		
	Printing Technology	Laser		
	Paper Size	A4, Legal or Higher		
	Print Speed(Minimum)	25 PPM (Mono) or higher		
	Print Resolution	600X600 dpi or higher		
	Duplex	Auto		
	Connectivity	High Speed 2.0 port or higher		
	Duty cycle (Monthly)	10000 Pages or Higher		
	Memory	128 MB or Higher		
	Input Paper Tray Capacity	150 Pages or Higher		
	Compatible OS	Windows and Linux		
	Cables/ Accessories	All the required cables, accessories		
	Software Media	Driver & Utility Software		
	Model Specific Certifications	BIS		
	Compliance	RoHS, ISO 9001		
	Warranty	3 Years comprehensive on site OEM warranty		

(1) सामग्री की दरें केवल अधिकृत विक्रेता/विनिर्माता/डीलर द्वारा ही दी जाएगी एवं सामग्री के मूल निर्माण कर्ता का अधिकृति का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
(2) न्यूनतम दरदाता का निर्धारण निविदा में वर्णित आईटमों में से आईटमवार किया जायेगा।

हस्ताक्षर बोलीदाता

फर्म का नाम व पता
मोबाईल–दूरभाष

कृ0प0उ0

अतिरिक्त निदेशक
(मुख्यालय)
पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण
राज., जयपुर

राजस्थान–सरकार
निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण राजस्थान, जयपुर
निविदा प्रपत्र
कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं प्रिंटर का उपापन करने हेतु सामान्य अनुदेश तथा निविदा शर्ते

टिप्पणी:– निविदाकार को इन शर्तो को सावधानी पूर्वक पढना चाहिये तथा अपनी बोली भेजते समय इनकी पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिये।

1. निविदा प्रपत्र निविदा सूचना में दिये गये निर्देशो के अनुसार यथोचित रूप से मोहर बन्द लिफाफे के ऊपर " कम्प्यूटर हार्डवेयर क्रय का बोली प्रपत्र" तथा कोने मे निविदादाता का नाम व पता स्पष्ट शब्दो मे लिखकर भेजा जाना हैं।

2. **अधिकृत डीलरों (Bonafide dealers) द्वारा बोली :–** बोली सामग्री के निर्माता/अधिकृत डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, थोक विक्रेता द्वारा ही दी जावेगी। तथा उक्त के सम्बन्ध निविदा के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करने होगें:–

(अ) अधिकृत निर्माता (OEM)/डीलर, होने से संबंधित दस्तावेज।

(ब) निविदा प्रपत्र शुल्क।

(स) बोली प्रतिभूति राशि।

3. (1) फर्म आदि के गठन मे किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित मे निविदादाता द्वारा दी जावेगी तथा इस परिवर्तन से निविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जावेगा।

(2) निविदा के संबंध मे फर्म में बोलीदाता किसी भी नए भागीदार/भागीदारों को तब तक स्वीकार नहीं किया जावेगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिऐ बाध्य नहीं हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस संबंध मे लिखित इकरार नामा प्रस्तुत नहीं कर देते । प्राप्ति स्वीकृति के लिए बोलीदाता की रसीद या बाद मे उपरोक्त रूप मे स्वीकार की गयी किसी भागीदार की रसीद उन सबको बाध्य करेगी तथा वह निविदा के किसी प्रयोजन के लिए पर्याप्त रूप उनमुक्ति (डिस्चार्ज) होगी।

4. **जीएसटी पंजीयन–** कोई निविदादाता जहां उसका व्यवसाय स्थित है,यदि राज्य में प्रचलित वैट/जीएसटी कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है तो वह निविदा नहीं देगा। **जीएसटी** पंजीयन संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए।

5. निविदा प्रारूप स्याही से भरा जाएगा या टंकण से भरा जाएगा। पैंसिल से भरी गयी किसी भी बोली पर विचार नहीं किया जाएगा। बोलीदाता बोली के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त मे बोली की समस्त शर्तो को स्वीकार करने के प्रमाण मे हस्ताक्षर करेगा।

6. **दरें निर्धारित वित्तीय प्रपत्र मे अंकित की जाएगी।** इसमे कोई त्रुटियां (Errors) एवं/या उपरिलेखन नहीं होना चाहिए।यदि कोई शुद्धियां करनी हों तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं दिनांक सहित उन पर लघु हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। दरों मे जीएसटी की राशि को पृथक से दिखाना चाहिए ।

7. दरें गन्तव्य स्थान तक एफ.ओ.आर. उदृत की जानी चाहिए तथा उसमें सभी अनुषंगिक (Incidental) प्रभारों को शामिल करना चाहिए। किन्तु जीएसटी को शामिल न करके इन्हें अलग से दिखाया जाना चाहिए। स्थानीय प्रदायों (सप्लाइज) के मामले मे दरों में समस्त प्रभारों आदि को शामिल करना चाहिए तथा सरकार द्वारा कोई गाडी भाडा (कॉर्टेज) या परिवहन प्रभारों का सरकार द्वारा भुगतान नहीं किया जाएगा तथा माल सुपुर्दगी क्रेता अधिकारी के परिसर पर दी जाएगी।

8. प्रदाय की जाने वाली वस्तुओं की स्पेसीफिकेशन/विशिष्टियॉ वित्तीय बोली प्रपत्र मे अंकित है। दरें तदानुसार उद्धृत की जावें। अनुमोदित प्रदायकर्ता (सप्लायर) के लिए यह समझा जाएगा कि उसने प्रदाय की जाने वाली वस्तुओं की दशा, स्पेसीफिकेशन, साईज, मैक, एवं ड्राइंग्स आदि की सावधानीपूर्वक जॉच कर ली है। यदि उसे इन शर्तों के किसी भाग, स्पेशीफिकेशन, ड्राईंग आदि के आशय के बारे में कोई सन्देह हो तो वह निविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व उसे क्रेता अधिकारी को भेजेगा तथा उससे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा ।

9. Assembled computer Hardware and Printer सामग्री किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जावेगी।

10. निविदादाता अपनी निविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नही सौंपेगा, हस्तान्तरित नहीं करेगा या उप–भाडे (सब लैट) पर नहीं देगा।

कृ0प0उ0

अतिरिक्त निदेशक
(मुख्यालय)
पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण
राज., जयपुर

11. विशेष विवरण (स्पेशिफिकेशन्स) –

(1) प्रदाय की गयी सभी वस्तुएं बोली में निर्धारित स्पेसीफिकेशन्स, ट्रेडमार्क के पूर्णतया अनुरूप होंगी तथा जहां पर वस्तुओं की आईएसआई स्पेसीफिकेशन्स के अनुसार अपेक्षा की गयी हैं उन को पूर्णरूप से उन स्पेसीफिकेशन्स के अनुरूप होना चाहिए तथा उस पर वह मार्क होना चाहिए।

(2) बोली प्रपत्र मे अंकित वस्तुओं का प्रदाय अन्य बातों के साथ अनुमोदित नमूनों के ठीक अनुरूप होगा तथा अन्य पदार्थो के मामले में जहां कोई स्तरीकृत या अनुमोदित नमूने न हो अत्युत्तम गुणवत्ता एवं विवरण की वस्तु का प्रदाय किया जाएगा। केता अधिकारी/केता/समिति का इस संबंध मे कि क्या प्रदाय की गई वस्तुंए स्पेसीफिकेशन्स के अनुरूप है तथा क्या वे सैम्पल यदि कोई हो के अनुसार हैं किया गया निर्णय बोलीदाताओं के लिए अंतिम एवं मान्य होगा।

12. **निरीक्षण–**

(क) केता अधिकारी या उसका विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि सभी युक्तियुक्त उचित समयों पर प्रदायकर्ता के परिसर में जा सकता है तथा वह विनिर्माण की प्रकिया के दौरान या उसके बाद जैसा भी निश्चिय किया जाएगा, किसी भी समय मालों/उपकरणों/मशीनो की सामग्री एवं कर्मकौशल का निरीक्षण एवं जांच करने की शक्ति रखेगा।

(ख) बोलीदाता अपने कार्यालय परिसर में गोदाम एवं वर्कशाप का जहां पर निरीक्षण किया जा सकता है पूर्ण पता उस व्यक्ति के नाम व पते के साथ देगा जिससे उस प्रयोजन के लिए सम्पर्क करना होगा।

13. सामान की सप्लाई जब भी प्राप्त की जाएगी उनका निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि वे स्पेशिफिकेशन्स या अनुमोदित नमूनों के अनुरूप हैं। जहां आवश्यक हो या विहित किया गया हो या व्यावहारिक हो वहां परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओं प्रतिष्ठित परीक्षण गृहों से किया जाएगा उन्हें स्वीकार किया जाएगा।

14. **परीक्षण प्रभारः–** परीक्षण करवाया जाना आवश्यक हुआ तो परीक्षण प्रभार सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे। यदि बोलीदाता अत्यावश्यक तत्काल परीक्षण कराना चाहता हो या यदि परीक्षण परिणामों से यह ज्ञात हो कि सप्लाई किया गया सामान विहित स्तरों या स्पेसीफिकेशन्स के अनुसार ही नहीं है तो परीक्षण प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किए जाएंगे।

15. **रद्द करना (Rejection) -**

(1) आपूर्ति किये गये सामान के निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वस्तुएं अनुमोदित नहीं की जाएगी उन्हें रद्द किया जाएगा तथा बदला जाएगा।

(2) तथापि यदि सरकारी कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के कारण पूर्ण या आंशिक रूप मे उन वस्तुओं को बदलना साध्य (Feasable) नहीं समझा जाए तो केता अधिकारी बोलीदाता को सुनवाई किए जाने का एक उचित अवसर देकर ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे अनुमोदित दरों में से उपयुक्त राशि की कटौती करेगा। इस प्रकार की गयी कटौती अंतिम होगी।

(3)रद्द की गयी वस्तुओं को बोलीदाता उन्हें रद्द करने की सूचना प्राप्त करने से 15 दिन के भीतर हटा लेगा इसके बाद केता अधिकारी किसी भी प्रकार की हानि या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा तथा उसे बोलीदाता की जोखिम एवं उसके लेखे पर उन वस्तुओं को जिन्हें वह उचित समझे बेचने का अधिकार होगा।

16. निविदादाता सामग्री की उचित पैकिंग करने के लिए उत्तरदायी होगा ताकि समुद्र, रेल, सडक या वायुयान द्वारा परिवहन की सामान्य स्थिति में उनमें कोई क्षति न हो तथा गन्तव्य स्थल पर माल प्राप्तकर्ता को माल की सुपुर्दगी अच्छी दशा में प्राप्त हो सके। किसी प्रकार की हानि, क्षति, टूटफूट या रिसाव (लीकेज) या किसी कमी के होने के मामले में बोलीदाता माल प्राप्तकर्ता द्वारा उन सामग्रियों की जांच/निरीक्षण किए जाने पर पायी गयी ऐसी हानि एवं कमी की पूर्ति करने के लिए उतरदायी होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत स्वीकार नहीं की जाएगी।

17. यदि माल की सप्लाई केता अधिकारी की सन्तुष्टि के अनुसार नहीं की जाती है तो बोलीदाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद केता अधिकारी किसी भी समय निराकृत (Repudiate) कर सकता है, वह इस प्रकार निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करेगा।

18. इन्स्टालेशन का कार्य फर्म द्वारा इस विभाग द्वारा बताये गये स्थान पर करना होगा एवं गारण्टी/वारण्टी निर्धारित स्पेसिफिकेशन के अनुसार ऑन साईट फर्म द्वारा प्रदान की जावेगी।

कृ0प0उ0

अतिरिक्त निदेशक
(मुख्यालय)
पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण
राज., जयपुर

19. निविदादाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता (Disqualification) होगी।

20. सुपुर्दगी अवधि–

(1) निविदादाता जिसकी बोली स्वीकार की जाएगी, वह सप्लाई आदेश में अंकित अवधि के भीतर सामान की सप्लाई करने की व्यवस्था करेगा।

(2) मात्रा के सीमा आदेश को फिर से देनाः – यदि बोली सूचना में दर्शित मात्रा से अधिक के लिए आदेश दिया जाता है तो बोलीदाता अपेक्षित सप्लाई की पूर्ति करने के लिए बाध्य होगा। पुनः आदेश (Report Orders) भी बोली मे दी गयी शर्तों पर दिए जा सकेंगे परन्तु शर्त यह कि ऐसे पुनरादेश मूल रूप में खरीदी गयी मात्रा की 50 प्रतिशत तक की सप्लाई के लिए ही होंगे। यदि बोलीदाता ऐसी सप्लाई करने में असमर्थ रहता है तो केता अधिकारी अवशेष सामान की सप्लाई की व्यवस्था सीमित निविदा द्वारा या अन्यथा प्रकार से करने के लिए स्वतंत्र होगा तथा जो भी अतिरिक्त लागत व्यय की जाएगी उसकी बोलीदाता से वसूली की जाएगी।

(3) यदि केता अधिकारी किन्हीं बोलीदत्त वस्तुओं की खरीद नहीं करता है या बोली प्रपत्र में निर्दिष्ट मात्रा से कम मात्रा में माल खरीदता है तो बोलीदाता किसी क्षतिपूर्ति का क्लेम करने के लिये अधिकृत नहीं होगा।

21. बयाना राशि (अर्नेस्ट मनी)–

(क) निविदा के साथ 3400/– रू. की बयाना राशि प्रस्तुत की जायेगी। इसके बिना बोली पर विचार नहीं किया जायेगा। यह राशि **निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर** के पक्ष में निम्नलिखित में से किसी भी रूप में जमा कराया जाना चाहिये

(i) नकद शीर्ष 8443–सिविल निक्षेप–103 प्रतिभूति निक्षेप के अंतर्गत ट्रेजरी चालान से जमा कराया जाना चाहिये।

(ii) शिड्यूल बैंक का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक।

(ख) बयाना राशि का प्रतिदाय (Refund of earnest money) असफल निविदादाता की बयाना राशि निविदा को अन्तिम रूप से स्वीकार कर अनुबंध निष्पादन के बाद यथा शीघ्र लौटायी जायेगी।

(ग) बयाना राशि से छूट :– राजस्थान के लघु उद्योगों की दशा में यह प्रदाय के लिए प्रदत्त मात्रा का 0.5 प्रतिशत होगी और लघु उद्योगो से भिन्न रूग्ण उद्योगों की दशा में जिनके मामले औद्योगिकी एवं वित्त पुनर्निर्माण बोर्ड के समक्ष लम्बित है, यह बोली के मूल्य का 1 प्रतिशत होगी।

(घ) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रमों को कोई बयाना राशि प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

(ङ) अनुमोदन की प्रतीक्षा करने वाली या रद्द की गयी या संविदाओं के पूर्ण हो जाने के कारण विभाग/कार्यालय के पास जमा बयाना राशि/प्रतिभूति निक्षेप को नयी निविदाओं के लिए बयाना राशि/प्रतिभूति धन के प्रति समायोजित नहीं किया जायेगा। तथापि यदि निविदाओं को पुनः आमंत्रित किया जाता है तो बयाना राशि को उपयोग में लिया जा सकता है।

22. **बयाना राशि का समपहरणः** बयाना राशि को निम्नलिखित मामलों में समपहृत कर लिया जायेगा–

(1)जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें उपान्तरण करता है।

(2)जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को, यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता हो।

(3)जब निविदादाता प्रदायगी के लिये आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता हो।

(4)जब वह विहित समय के भीतर सप्लाई आदेश के अनुसार मदों की सप्लाई प्रारम्भ करने में असफल रहता हो।

अतिरिक्त निदेशक
(मुख्यालय)
पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण
राज., जयपुर

कृ0प0उ0

23. <u>करार एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति निक्षेप (Agreement and performance security) –</u>

(1) सफल निविदादाता को आदेश प्राप्ति की दिनांक से 15 दिवस की अवधि मे प्रारूप 17 में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा जिन सामानों (स्टोर्स) के लिये बोली स्वीकार की गई है, उनके मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा करानी होगी। यह कार्य सम्पादन प्रतिभूति अनुबंध के साथ ही जमा करानी होगी।

(2)निविदादाता के द्वारा बोली जमा कराने के समय जमा करायी गयी बयाना राशि को प्रतिभूति की राशि के लिये समायोजित किया जायेगा। प्रतिभूति राशि किसी भी दशा में बयाना राशि से कम की नहीं होगी।

(3)प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा।

(4)प्रतिभूति राशि बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/चालान की रसीदी प्रति/शिड्यूल बैंक द्वारा जारी बैंक गारण्टी/एफ0डी0आर0 आदि के रूप मे प्रस्तुत करनी होगी।

(5)एक समय पर खरीद के मामले में क्रय आदेश के अनुसार मदों की अन्तिम सप्लाई से एक माह के भीतर तथा यदि सुपुर्दगी को सान्तर किया जाता है तो दो माह के भीतर उसके लिये निविदा के सन्तोषजनक रूप से पूर्ण कर दिये जाने के बाद या गारण्टी की अवधि यदि हो के समाप्त होने के बाद जो भी बाद में हो तथा इससे सन्तुष्ट हो जाने पर की बोलीदाता के विरूद्ध कोई देय बकाया नहीं है कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय किया जायेगा।

(6)केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रम प्रतिभूति राशि जमा कराने से मुक्त होंगे।

(7) प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत किया जायेगा :–

(क) जब निविदा की शर्तों का उल्लघंन किया गया हो।

(ख) जब बोलीदाता सम्पूर्ण सप्लाई सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

(ग) प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जायेगा। इस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

24. **बीमा**:–सामान गन्तव्य गोदाम पर सही दशा में सुपुर्द किये जायेंगे। यदि सप्लायर चाहे तो वह मूल्यवान सामान को चोरी/ नाश/ क्षय द्वारा या आग/बाढ़ मौसम में पड़ा रहने के कारण या अन्यथा (जैसे युद्ध, विद्रोह, दंगे आदि)द्वारा हानि से बचाने के लिये बीमा करा सकेगा। यह बीमा प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा तथा यदि ऐसे व्यय किये जाते हैं तो राज्य से इन प्रभारों का भुगतान करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

25. जब तक पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाए सामान की सुपुर्दगी के लिये भुगतान निविदादाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों तथा राजस्थान लोक उपायन में पारदर्शिता नियम, 2013 के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जायेगा तथा सभी प्रेषण प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किये जायेंगे।

26. विवादास्पद मदों के संबंध में राशि के 10 से 25 प्रतिशत तक को रोका जायेगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जायेगा।

27. उन मामलों के संबंध में जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है भुगतान तभी किया जायेगा जब वे परीक्षण कर लिये जायेंगे तथा प्राप्त हुये परीक्षण परिणाम विहित स्पेसीफिकेशन के अनुरूप होंगे।

(i) निविदा प्रपत्र मे सुपुर्दगी के लिये विनिर्दिष्ट समय को निविदा के सार रूप में समझा जायेगा तथा सफल बोलीदाता क्रेता अधिकारी से सप्लाई ऑर्डर के प्राप्त होने से निर्धारित अवधि के भीतर सप्लाई करेगा।

(ii) परिनिर्धारित क्षति के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन स्टोर के मूल्यों के लिये की जायेगी जिनकी निविदादाता सप्लाई करने में असफल रहा है:–

अतिरिक्त निदेशक
(मुख्यालय)
पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण
राज., जयपुर

कृ0प0उ0

(1) (क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिये 2.5 प्रतिशत

(ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनाधिक के लिये 5 प्रतिशत

(ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनाधिक के लिये 7.5 प्रतिशत

(घ) विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिये 10 प्रतिशत

(2) विलम्ब की अवधि में आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जायेगा।

(3) यदि प्रदायकर्ता किन्हीं बाधाओं के कारण निविदान्तर्गत माल की सप्लाई को पूरा कराने के लिये समय में वृद्धि करवाना चाहता है तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी हेतु आदेश दिया है। किन्तु वह उसके लिये निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

(4) यदि माल की सप्लाई करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदादाता के नियन्त्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी।

28. वित्तीय बोली का मूल्यांकनः-- डेस्कटॉप कम्प्यूटर एवं लेजर प्रिंटर की दरों का मूल्यांकन अलग-अलग किया जाएगा। बोली का वित्तीय मूल्यांकन में अधिकतम लाभप्रद सिद्वान्त (Most Advatageous Bid) का पालन किया जाएगा।

29. **<u>वसूलियां</u>:--** वसूलियां परिनिर्धारित क्षयों कम सप्लाई, टूटफूट, रद्द की गयी वस्तुओं के लिये वसूली साधारण रूप से बिल में से की जायेगी। कम सप्लाई टूटफूट, रद्द किये गये मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि सप्लायर सन्तोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है, तो परिनिर्धारित क्षय (लिक्वीडिटी डेमेजज) के साथ वसूली उसकी देय राशि एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जायेगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पीडीआर एक्ट या प्रवृत किसी अन्य कानून के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।

30. यदि निविदादाता ऐसी शर्तें आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त हैं या इनके विरोध में हैं तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जायेगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्तों को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जायेगा जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किये गये निविदा स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।

31. उपापन संस्था किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की बोली नहीं है स्वीकार करे बिना कोई कारण बताये किसी भी निविदा को रद्द करने या जिन वस्तुओं के लिये निविदादाता ने निविदा दी है उन सब के लिये या किसी एक या अधिक के लिये बोली को स्वीकार करने या एक फर्म/सप्लायर से अधिक को स्टोर्स की मदों को वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।

32. निविदादाता करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा :-

(1)यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी (पार्टनरशिप डीड) की एक अभिप्रमाणित प्रति।

(2)यदि भागीदारी फर्म पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।

(3)एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर।

(4)कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वार जारी किया गया प्रमाण पत्र

33. करार से उत्पन्न होने वाले समस्त विवाद तथा इस करार पत्र के निर्वचन व्याख्या से सम्बन्धित सभी प्रश्न **पंचाट द्वारा नीर्णित किए जायेंगे जो कि निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण होंगे।**

34. उपरोक्त बोली की समस्त शर्तों को मैंने पढ एवं समझ लिया है तथा मुझे बोली की सभी शर्तें स्वीकार हैं। जिसके प्रमाण स्वरूप मैंने निविदा प्रपत्र के सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर अंकित कर दियें हैं।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

अतिरिक्त निदेशक
(मुख्यालय)
पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण
राज., जयपुर

निविदादाता द्वारा घोषणा

मै/हम/घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हम ने बोली की समस्त जानकारी / शर्तों का अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है। मैं/हम यह भी प्रमाणित करते है कि जिन माल/उपकरणों के लिए बोली दी है उनका/उनके/मैं/हम मूल उत्पादक/थोक व्यापारी/ प्राधिकृत विक्रेता हैं। मेरे/हमारे द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मेरी/हमारी फर्म केन्द्र/ राज्य सरकार अथवा किसी भी सरकारी उपक्रम द्वारा विवर्जित **(Debarred)** नहीं की गयी है।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्रवाई, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/ हमारी बोली प्रतिभूति/ एवं कार्य निष्पादन प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहृत कर किया जा सकेगा तथा बोली को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

हस्ताक्षर बोलीदाता

फर्म का नाम व पता

मोबाईल–दूरभाष

अतिरिक्त निदेशक
(मुख्यालय)
पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण
राज., जयपुर

कृ0प0उ0

राजस्थान–सरकार
निदेशालय पेशन एवं पेशनर्स कल्याण, जयपुर
Computer Hardware and Printer का उपापन करने हेतु निविदा
वित्तीय बोली प्रपत्र
Desktop Computer

(राशि रू. में)

क. सं.	नाम सामग्री एवं विशिष्टियाँ		प्रस्तावित मात्रा	प्रस्तावित मेक	दर प्रति नग सभी करों व GST सहित (अंको में)	दर प्रति नग सभी करों व GST सहित (शब्दों में)
	Desktop Computer		2			
	Processor	Intel i5, 10 core or higher, with minimum 2.5 GHz or higher(Base Frequency), 20 MB Cache or higher with 14th Generation and to be certified by OEM				
	Chipset	Compatible Chipset				
	Operating System	1. Pre installed OEM Certified Genuine Microsoft Windows 11 Professional (64 Bit) or higher 2. Recovery Partition				
	Memory(RAM)	16 GB DDR5 4400 MHz or higher with 64 GB expandability				
	Storage	1 TB SSD				
	Graphics	Integrated HD Graphic card or higher				
	Ports	Minimum 5 USB Ports with at least 2 USB 3.0 or higher ports, HDMI, Display port, Audio jack for headphone & microphone				
	Display	Minimum 21 inch or higher, Resolution 1600x900 or higher Display				
	Antivirus	minimum 3 years subscription Antivirus with protection for Ransomware, Browsing, Phising along with OEM undertaking to be provided.				
	Certification	BIS(for Monitor Only)				
	Compliance	RoHS, ISO9001				
	Keyboard & Mouse	USB Keyboard & USB two button optical Mouse with Mouse Pad(Same Make as Desktop)				
	Network Interface	Integrated 10/100/1000 GB Ethernet , Integrated 802.11ac WiFi and Bluetooth 5.0 or higher				
	Form Factor	SFF/MT				
	Accessoires	All necessary cables				
	Security	2.0 Trusted Platform Module (TPM) (Hardware/Firmware)				
	Expansion Slots	Minimum two PCIe slots				
	Warranty	3 Years comprehensive on site OEM warranty				

(1) सामग्री की दरें केवल अधिकृत विक्रेता/विनिर्माता/डीलर द्वारा ही दी जाएगी एवं सामग्री के मूल निर्माण कर्ता का अधिकृति का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
(2) न्यूनतम दरदाता का निर्धारण आईटमवार किया जायेगा।

हस्ताक्षर बोलीदाता

फर्म का नाम व पता
मोबाईल–दूरभाष

अतिरिक्त निदेशक
(मुख्यालय)
पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण
राज., जयपुर

कृ0प0उ0

राजस्थान–सरकार
निदेशालय पेशन एवं पेशनर्स कल्याण, जयपुर
Computer Hardware and Printer का उपापन करने हेतु निविदा
वित्तीय बोली प्रपत्र
Laser Printer

क. सं.	नाम सामग्री एवं विशिष्टियॉ		प्रस्तावित मात्रा	प्रस्तावित मेक एवं मॉडल	दर प्रति नग सभी करों व GST सहित (अंको में)	दर प्रति नग सभी करों व GST सहित (शब्दों में)
	Laser Printer		01 नग			
	Functions	Print				
	Printing Technology	Laser				
	Paper Size	A4, Legal or Higher				
	Print Speed(Minimum)	25 PPM (Mono) or higher				
	Print Resolution	600X600 dpi or higher				
	Duplex	Auto				
	Connectivity	High Speed 2.0 port or higher				
	Duty cycle (Monthly)	10000 Pages or Higher				
	Memory	128 MB or Higher				
	Input Paper Tray Capacity	150 Pages or Higher				
	Compatible OS	Windows and Linux				
	Cables/ Accessories	All the required cables, accessories				
	Software Media	Driver & Utility Software				
	Model Specific Certifications	BIS				
	Compliance	RoHS, ISO 9001				
	Warranty	3 Years comprehensive on site OEM warranty				

(1) सामग्री की दरें केवल अधिकृत विक्रेता/विनिर्माता/डीलर द्वारा ही दी जाएगी एवं सामग्री के मूल निर्माण कर्ता का अधिकृति का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
(2) न्यूनतम दरदाता का निर्धारण आईटमवार किया जायेगा।

हस्ताक्षर बोलीदाता

अतिरिक्त निदेशक
(मुख्यालय)
पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण
राज., जयपुर

फर्म का नाम व पता
मोबाईल–दूरभाष

कृ0प0उ0

Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:- The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

a. have controlling partners/ shareholders in common; or

b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or

c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or

d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or

e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or

f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or

g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

अतिरिक्त निदेशक
(मुख्यालय)
पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण
राज., जयपुर

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder In relation to my/our Bid submitted to .... for procurement of .... in response to their Notice Inviting Bids No.............. Dated.............

I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;

2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;

3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;

4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;

5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:
Place:

Signature of bidder
Name :
Designation:
Address:

अतिरिक्त निदेशक
(मुख्यालय)
पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण
राज., जयपुर

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is Director pension & pensioners welfare department.

The designation and address of the Second Appellate Authority is Finance secretary (Budget).

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) determination of need of procurement;

(b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;

(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;

(d) cancellation of a procurement process;

(e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

अतिरिक्त निदेशक
(मुख्यालय)
पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण
राज., जयपुर

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,- (i) hear all the parties to appeal present before him; and (ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

अतिरिक्त निदेशक
(मुख्यालय)
पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण
राज., जयपुर

FORM No.1
[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No ....of ....
Before the .... (First / Second Appellate Authority)
1. Particulars of appellant:
(i) Name of the appellant:
(ii) Official address, if any:
(iii) Residential address:
2. Name and address of the respondent(s):
(i)
(ii)
(iii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
6. Grounds of appeal: ....
....
(Supported by an affidavit) ....
7. Prayer:
....
....
Place ....
Date ....
Appellant's Signature

अतिरिक्त निदेशक
(मुख्यालय)
पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण
राज., जयपुर

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.
If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.
(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.
(iii)In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods) As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

अतिरिक्त निदेशक
(मुख्यालय)
पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण
राज., जयपुर